International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology
© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

भाषा शिक्षण की प्रासङ्गिकता

प्रो.रजनीकान्त शुक्ल
शिक्षासङ्काय, राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठम् (मानित विश्वविद्यालय) तिरुपति

भाषा शब्द मूलत: संस्कृत की भाष् धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है- 'बोलना' या 'कहना' । वस्तुत: मानव को अपने सामाजिक सरोकारों को जीवित बनाए रखने हेतु भाषा को ही अपना माध्यम बनाना पड़ता है । समग्र परिवेश को व्यावहारिक बनाने एवं उसे गति प्रदान करने में भाषा की उपयोगिता अकथनीय है । चूँकी यह कार्य मानवीय अभिव्यक्ति के प्रचार प्रसार में ही सफल हो सकता है । अत: जीवन की गतिशीलता के सृजन में मानव सर्वदा प्रयासरत है । यह तथ्य संवादों के प्रकाशन को सबल बनाता है । तभी प्रत्येक मानव भाषा के महत्त्व को स्वीकार करता है । एमर्सन का कथन है- "भाषा एक नगर है । जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव एक पत्थर लाया है ।' परस्पर समन्वयात्मक अभिव्यक्ति का भाव इस कथन में ध्वनित होता है । फलत: यह कहना चाहिए कि भाषा तो केवल आदान -प्रदान के लिए ही नहीं बल्कि अपने को स्वयं अभिव्यक्त करने की उपाधि भी है । सम्पूर्ण मानव जाति की सभ्यता का इतिहास उसमें निहित है । भाषा के प्रकाशन के अभाव में मनुष्य का यह संसार प्रकाश विहीन होता। सहजता पूर्वक यह कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं । सामाजिक उन्नति और विकास के तत्त्व भाषा में ही सन्निविष्ट हैं । एक उत्तम भाषा मानव को उत्तम विचार प्रदान करने में अवश्य ही सहायक होती है ।

मानव अपने जीवन में कार्य- व्यापारों की सफलता एवं देशकाल की समन्वय दृष्टि को स्वीकार करता है । परिवेश है । भाषा के विविध रूपों के अन्तर्गत प्रमुखत: मूलभाषा, व्यक्ति बोली (Idiolect), उपबोली या स्थानीय बोली, मानक या परिनिष्ठित साहित्यिक, भाषा, जीवितभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, जातिभाषा आदि ध्यातव्य हैं । इन समस्त रूपों में राष्ट्रभाषा का अपना प्रमुख स्थान है । किसी भी देश की व्यापक अस्मिता हेतु तीन वस्तुएँ सर्वदा स्मरणीय है. प्रथम राष्ट्रध्वज, द्वितीय राष्ट्रगान और तृतीय राष्ट्रभाषा । भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया गया है । भारतीय संविधान के भाग (क) अनुच्छेद 301 (क) के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । इस सन्दर्भ में 7 जून 1955 को एक राजभाषा के रूप में प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रसार- प्रचार करना है ।"

वस्तुत: किसी भी राष्ट्र की सामान्य भाषा जनभाषा ही प्रशासन की भाषा होनी चाहिए, कहने का भाव यह है कि राष्ट्र भाषा ही राजभाषा होनी चाहिए । हिन्दी का कार्यालयीय रूप राजभाषा है एवं जनसम्पर्क तथा व्यावहारिक धरातल पर उसका रूप राष्ट्रभाषा है । 1965 सहभाषा अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी को प्रारम्भ में हिन्दी की सहायक भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी । यह समय सीमा अनिश्चित काल के लिए घोषित की गई थी, परन्तु आधुनिक विचारवाद के रंग में रचे-बसे कुछ सुशिक्षित लोगों के कारण अंग्रेजी में राजकीय कार्य व्यापार का दौर आज भी थमा नहीं है । 1952 में सरकार द्वारा नियुक्त आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने निर्णय लिया कि क्रमश: हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा छात्रों को दी जाए । इस निर्णय का स्वागत तो चतुर्दिक किया गया, परन्तुहिन्दी को पढाई का माध्यम घोषित करने के बाद भी पढ़ाई प्राय: अंग्रेजी में ही होती रही है । 1966

Received : 01 Oct 2017 | Published : 30 Oct 2017 | September-October-2017 (3) 6 : 1261-1264]

से 1975 तक के दशक में स्थिति बदली और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं एवं हिन्दी का विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई में स्नातक स्तर तक अनिवार्य रूप से प्रयोग हुआ, परन्तु सम्प्रति इक्कीसवीं सदी के आलोक में हमारी इस राष्ट्रभाषा की दशा राजनीतिक देखरेख के अभाव में शोचनीय होती जा रही है। कथन की पुष्टि में बिहारी के भावों का साम्य तुलनीय है –

जिन दिन देखे कुसुम वे गई सुबीती बहार।

अब अति रही गुलाब की, अपत कैंटीली डार ।।"

भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने वाली एक ही भाषा है, और वह है – हिन्दी । डा. राधाकृष्णन् के शब्दों में भाषा, राष्ट्र के आकाश का पावन प्रवाह है, जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करता, राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी दस दिशाओं में प्रसारित करता है। राष्ट्रभाषा की प्रतीक हिन्दी के विषय में आचार्य विनोबा के ये बेबाक शब्द स्मरणीय है–'मैं चाहता हूँ कि हमारा सारा कारोबार हिन्दी में चले इसलिए मैनें निश्चय किया है कि मैं हमेशा हिन्दी में बोलूँ। मैं दुनियाँ की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ परन्तु, मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता।' नेहरू जी का यह प्रबल विश्वास था कि हिन्दी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिन्दी अन्यभाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है। इसी तरह आचार्य दिनकर हिन्दी को भारतवर्ष के हृदय की वाणी स्वीकारते हैं तो मैथिलीशरण उसे समस्त गुणों से अलङ्कृत माने हैं तथा गाँधी उसकी सरलता के कायल हैं। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी का दौर हो या सन्त कबीर का "भाषा बहता नीर हो", तुलसी की रामकथा हो, तुकाराम की वाणी हो, मीरा का मोहन वरण हो, महादेवी की वेदना हो चाहे फिर प्रसाद – पन्त और निराला की छायावादी अभिव्यक्ति हो – हर जगह, हर सूरत में हिन्दी जीवन्त राष्ट्रभाषा के रूप में दिखाई देती हैं।

हिन्दी भाषा का सम्पूर्ण साहित्य उसकी विपुलता को द्योतित करता है। सृजन– विधाओं के विविध रूपों का संदर्शन इसके साहित्य की निजी विशेषता है। कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, संस्मरण, फीचर एवं रिपोर्ट जैसी अनेक विधाएँ इसकी व्यापकता को रेखांकित करती हैं तो दूसरी ओर साहित्यकारों की अजस्र धारा में चन्दबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर. मीरा, केशव, रहीम, बिहारी, धनानन्द, देव, आलम, ठाकुर, तुकाराम, भारतेन्दु, प्रसाद. पन्त, निराला, महादेवी, हरिऔध, मैथिलीशरण, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन',भगवतीचरण वर्मा, बच्चन, जैनेन्द्र, प्रेमचन्द, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियारामशरण गुप्त, केदारनाथ, शिवमंगल सिंह सुमन, गिरिजा कुमार, शमशेर, धर्मवीर और नीरज जैसे मूर्धन्य तथा कृती साहित्यकार हुए हैं। हिन्दी के विद्यार्थियों को इन विधाओं एवं रचनाकारों की विषय वस्तु का ज्ञान कराने हेतु कुशल शिक्षण की आवश्यकता अनुभव होती है। अत: कौशलपरक शिक्षण पर बल दिया जाना अपेक्षित है।

सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षण एक सोपान का कार्य करता है। 'शिक्षण को तभी सफल माना जा सकता है जब वह बालक को सीखने और स्वयं कुछ करने में सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रभाषा शिक्षण की सफलता हेतु कुछ प्रमुख विधियों को व्यवहार में लाना आवश्यक है। इनमें शब्द–खण्ड विधि, वाक्य संरचना विधि, शब्दार्थ कथन विधि, विश्लेषण विधि, नाट्य– विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रतीक विधि, प्रत्यक्ष क्रिया विधि, विमर्शन विधि प्रमुख विधियाँ है । हिन्दी अध्यापन में इन विधियों को कुशलतापूर्वक प्रयोग में लाना अपेक्षित है। इसके साथ ही शिक्षण सूत्रों तथा प्रमुख शिक्षण के उद्देश्यों परभी ध्यान दिया जाना

अनिवार्य है। हिन्दी शिक्षण क्रम में शिक्षक का यह दायित्व है कि वह छात्रों में भाध्याध्ययन के प्रति रुचि बनाए रखे तथा उनमे सृजनशीलताका मनोयोगपूर्वक विकास करे।

प्रत्येक भाषा के शिक्षण में उसकी संरचनात्मक प्रक्रिया को अभिव्यक्ति के स्तरों से जोड़ने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति वर्तमान समय में हिन्दी के सन्दर्भ में भी अनुभव की जा सकती है। हिन्दी- शिक्षण की आधारभूत समस्याओं को हम निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट कर सकते हैं -

1. हिन्दी भाषा पर प्रादेशिक बोलियों और भाषाओं का प्रभाव ।
2. संरचनात्मक ढाँचे में एकरूपता का न होना।
3. औच्चारणिक- विधान में विषमता
4. लेखन- कार्य के प्रति सर्वत्र उदासीनता
5. पर्याप्त अध्ययन- अध्यापनदृष्टि का अभाव।
6. छात्रों में विषय के प्रति गांभीर्य का अभाव ।
7. प्रतिदिन अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार में बढ़ता प्रयोग।
8. हिन्दी शिक्षकों के प्रोत्साहन की मन्दता।
9. सरकारी विभागों की शिथिलता ।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के शिक्षण में सम्प्रति वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करना हिन्दी के मनोबल को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। इसके साथ ही विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों में गहन अध्ययन तथा सृजनात्मकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना होगा। हिन्दी की विविध विधाओं से सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन उनके लिए उपयोगी बन सकेगा। हिन्दी वेबसाइट के समुचित प्रयोग से तथा विशुद्ध रचनाओं के प्रणयन से छात्रों को नवीन दिशा प्राप्त हो सकती है। हिन्दी का शिक्षक हालांकी इन तथ्यों से अवगत है -

वह यह भली भाँति जानता है और अपने व्यावहारिक जीवन में अनुभव भी करता है कि केवल हिन्दी लिपि या साहित्य का ज्ञान मात्र प्राप्त कर लेने से वह विद्यार्थियों कोपढ़ा नहीं सकता। उसे पर्याप्त परिवेश, साधन एवं सम्प्रति नवीन तकनीकें उपलब्ध करवाना आवश्यक है। तब राष्ट्र की इस अनुपम धरोहर राष्ट्रभाषा हिन्दी की भविष्य में अपेक्षित समुन्नति हो सकेगी तथा हिन्दी भाषा के सर्वांगीण विकास एवं उसके सभी पक्षों पर, विचार कर क्रियान्वयन करना ही राष्ट्रभाषा के विकास के लिए श्रेयस्कार होगा।

1. प्राइमरी शिक्षक(एन.सी.ई.आर.टी), अप्रैल 2002, प 63.
2. The story of languge is the story of civilization Mario A. देखें मूल हिन्दी शिक्षणविधि रघुनाथ सफाया. पृ.
3. काव्यादर्श - दण्डी, अध्याय 1.4
4. भाषा विज्ञान - भोलानाथ तिवारी, पृ.1
5. वहीं, 81-90.
6. भाषा शिक्षण श्रीधरनाथ मुकर्जी,

7. प्रशासनिक हिन्दी – पुष्पा कुमारी (2000) पृ. 1

8. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था – पृ. 182

9. शैक्षिक प्रगति विशेषांक, लेख श्री कृष्णचन्द्र बेरी (1976) पृ. 241

10. वहीं. पृ. 241

11. बिहारी सतसई

12. सफल शिक्षण कला, पाठक एवं त्यागी (1988) पृ. 11

13. मातृभाषा शिक्षण. के. क्षत्रिया (1989) पृ. 53. देखें हिन्दी शिक्षण रामशकल पाण्डेय, हिन्दी शिक्षण भाई योगेन्द्रजीत, एवं राष्ट्रभाषा सन्देश ।